हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित नगर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान की स्थापना गांव आयला, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के लिए दिनांक 31.07.2015 को हिमाचल दर्शन, फोटो आर्ट गैलरी, गांव बिन्द्रावणी, तह0 सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) में की गई जन सुनवाई की कार्यवाही का विवरणः

नगर परिषद मण्डी के नगर ठोस अपशिष्ट प्रंसस्करण और निपटान की स्थापना, गांव आयला त0 सदर जिला मण्डी (हि0प्र0) में प्रस्तावित है । इसकी जन सुनवाई 31.7.2015 को हिमाचल दर्शन फोटो आर्ट गैलरी गांव बिन्द्रावणी त0 सदर जिला मण्डी में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मण्डी की अध्यक्षता में की गई है । इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्न है । सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि डा0 रमेश कुमार नड्डा,पर्यावरण अभियन्ता, हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिलासपुर द्वारा आयोजित जन–सुनवाई की पृष्ठ भूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जन समूह को अवगत करवाया । तत्पश्चात्, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन–सुनवाई की कार्यवाही शुरु की गई । इसके बाद नगर परिषद मण्डी के तकनीकि सलाहकार, श्री पुरुषोतम शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, मै0 एसीनसो एनवायरों प्राईवेट लिमिटिड, द्वारा प्रस्तावित **नगर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान** की सुविधा के प्रारुप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया । इस जन–सुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	लोगों द्वारा उठाए गए सवाल	मुद्दों पर टिप्पणी
1	**श्री श्याम लाल ठाकुर सदस्य जिला परिषद् मण्डी (हि0प्र0) :–** इन्होने वर्तमान में नगर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन ठीक से न होने का मुद्दा उठाया और यह भी बताया कि एक प्राकृतिक जल स्त्रोत का पानी कूड़ा प्रबन्धन स्थल में से होता हुआ बहता है। जोकि बाद में ब्यास नदी में मिलता है ! प्रस्तावित स्थल के 200 मीटर नीचे की तरफ दो पेयजल योजनाएं है जहां से 10,000–11,000 की आबादी को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है । प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न होने वाले लीचेट व धुआं आम जनता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है । इसलिए परियोजना को ऐसी जगह स्थानान्तरित किया जाए जहां कोई भी जल स्त्रोत /नाला न हो ।	**श्री पुरुषोतम शर्मा, प्रबन्ध निदेशक मै0 एसीनसो एनवायरो प्राईवेट लिमिटेड (सलाहाकार) :–** श्री श्याम लाल ठाकुर, द्वारा बताई गई दो समस्याएंः पानी का गन्दा होना व धुंआ के बारे में जानकारी दी, और स्पष्ट किया कि प्रस्तावित परियोजना का प्रारुप इस प्रकार बनाया गया है ताकि प्राकृतिक जल स्त्रोत का पानी बिना परियोजना क्षेत्र में प्रवेश हुए, चौड़ी नाली (पक्की) के द्वारा बाहर की तरफ निष्कासित किया जाएगा ,इस प्रकार ठोस कचरे से कोई भी जल दूषित नहीं होगा । दूसरी समस्या के सन्दर्भ में यह बताया कि प्रस्तावित परियोजना में कूड़े को जलाने का कोई प्रावधान नहीं है इस प्रकार धुंआ उठने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । प्रस्करण से निकलने वाले लिचेट को शोधित किया जाएगा ताकि कोई दुष्प्रभाव न पड़े । नगर ठोस अपशिष्ट को wind-rows पद्धति द्वारा केचूंआ खाद में परिवर्तित किया जाएगा।
2	**श्री आर0 के0 सैणी, सहायक अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग**	**डा0 रमेश कुमार नड्डा,पर्यावरण अभियन्ता,हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,बिलासपुरः–**

	इन्होनें कहा कि प्रस्तावित संग्रहण स्थल के उपर व नीचे दो पेय जल योजनाएं है । लोग जहरीला पदार्थ मिश्रण होने के बारे में आपत्ति करते है जोकि वर्तमान, ठोस अपशिष्ट संग्रह स्थल में उत्पन्न होता है । यद्यपि ऊहल नदी से पानी उठाने का प्रस्ताव है जिसकी विस्तृत परियोजना प्रारुप बनाया गया है ,फिर भी इसके लिए 4–5 वर्ष का समय लगेगा । इसलिए लिचेट का शोधन होना चाहिए	सहायक अभियन्ता , सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की संवेदनाओं का समर्थन करते हुए यह स्पष्ट किया कि लिचेट यदि कुछ होगा तो वह प्रदूषक हो सकता है परन्तु जहरीला नहीं । फिर भी यदि जो भी लिचेट उत्पन्न होगा उसे शोधन संयत्र द्वारा शोधित किया जाएगा और तभी निष्कासित किया जाएगा और यह सुनिशिच्त किया जाएगा कि नदी के पानी की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव न पड़े । क्योंकि यह विधि मूलतः खाद बनाने की विधि है , जिसमें कोई भी जलाने की प्रकिया नही होती । इस प्रकार कोई भी धुंआ उत्पन्न नहीं होगा । फिर भी राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा ब्यास नदी के जल की गुणवता नियमित रुप से जांची जाती है । यह भी सूचित किया गया कि नगर ठोस कचरा नियम 2000 की सही अनुपालना हेतू प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने नगर परिषद मण्डी पर माननीय न्यायलय में अभियोजन भी चलाया था ।
3	**श्री भीम सैन,स्थानीय निवासी , आयलाः–** स्थानीय लोग होटल व ढाबे के काम से जूड़े है, जहां साफ व स्वच्छ खाना देना होता है । परन्तु नगर परिषद मण्डी द्वारा अनियमित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कारण मक्खियां एवं मच्छर उत्पन्न हुए हैं । वर्षा के कारण पानी,नगर ठोस प्रबन्धन स्थल में से प्रदूषित होकर गुजरता है तथा नदी के पानी में मिलता और इसकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है । यह वर्षा का जल अपने साथ नगर ठोस अपशिष्ठ बहा कर सड़क की तरफ धकेलता है । अन्ततः नदी में पहुंचता है ।	**श्री पुरुषोतम शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, मै0 एसीनसो एनवायरो प्राईवेट लिमिटेड (सलाहाकार) :–** यह परियोजना केवल नगर ठोस कचरे के लिए ही है और जैविक–चिकित्सा अपशिष्ठ के लिए नहीं है। क्योकि जैविक –चिकित्सा अपशिष्ठ के निपटान एवं शोधन के अलग नियम है जोकि जैविक –चिकित्सा (अपशिष्ठ ,प्रबन्धन एवं रख–रखाव) नियम, 2000 के अर्न्तगत आता है । और हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा जहरीला नहीं होता है । केवल घरेलू कूड़ा नगर ठोस अपशिष्ठ ही होगा , कोई भी औद्योगिक जहरीला अपशिष्ठ नहीं होगा । स्थल पर लाए गए कूड़े को सड़ने वाले एवम् न सड़ने वाले कूड़े में वर्गीकृत किया जाएगा । सड़ने वाले कूड़े को खाद में परिवर्तित किया जाएगा और न सड़ने वाले को आगे पुनः चकित होने वाले जैसे प्लास्टिक, कांच, लोहा इत्यादि और शेष निष्क्रीय जो कि बहुत कम मात्रा में होगा को भूमि में दबाने के लिए वर्गीकृत किया जाएगा । नगर ठोस अपशिष्ठ नियमों के अनुसार छः मांही सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपी जानी है ताकि जहर रहित अपशिष्ठ ही निपटारे के लिए जाए ।
4	**श्री लक्ष्मेन्द्र सिंह गुलेरिया (मण्डी बचाओं मोर्चा) :–** हमने कई बार नगर परिषद मण्डी व प्रशासन के साथ ठीक स्वच्छता एवं ठोस कूड़ा –कचरा प्रबन्धन के सम्बंध में बात की थी , परन्तु इस दिशा में समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए । नगर परिषद इतनी हठी है कि इन्होने एक बार	

	भी मामला सदन में नहीं रखा । आगे उन्होने कहा कि स्थल में वर्षा में इतनी अधिक मात्रा में पानी आता है कि इसे साधारण प्रवाह मोड़ने वाली नाली से नियन्त्रित नहीं किया जा सकता । उन्होने यह भी कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किसी को भी ब्यास नदी में कूड़ा फैंकने की अनुमति नहीं है । जबकि नगर परिषद मण्डी ने कई बार उनके कूड़ा–कचरा एकत्रिकरण स्थल में मृत पशुओं को दबाया है और मृत पशु ब्यास नदी में भी फैंके जाते है । प्रशासन बिंद्रावणी (वर्तमान स्थल) में कूड़ा–कचरा प्रसंस्करण की स्थापना के लिए कृत सकल्प है । मक्खियों और दुर्गन्ध ने जीवन नारकीय कर दिया है , जो कि पर्यटन को भी प्रभावित करता है । इस परियोजना को क्रियान्वित करने से पूर्व लोगों के एतराज ध्यान में रखने होगें क्योकि एकत्रिकरण स्थल उच्चतम बाढ – स्तर में आता है । नाली के पानी में से जहरीले पदार्थ के पृथकीकरण के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पास कोई भी तकनीक नहीं है । ऊहल खड्ड से प्रस्तावित जल वितरण योजना को बनने में 4–5 साल लगेगें, इसलिए एकत्रिकरण स्थल ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां पर कोई भी जलमय क्षेत्र न हो ।	
5	**श्री बीर सिंह ठाकुर (प्रधान, किसान यूनियन , मझवाड़ पंचायत) :–** जन सुनवाई में उपस्थित लोगों के सुझावों का समर्थन करते हुए उन्होनें बताया कि सुझाव केवल कागजों में ही रहते हैं । इन्होनें नगर परिषद मण्डी को सुझाव दिया कि परियोजना तभी लगाई जाए यदि स्थानीय लोगों को मंजूर हो, यदि न मंजूर हो तो न लगाई जाए । पंचायत प्रतिनिधियों ने कई बारे नगर परिषद के साथ अपषिष्ठ – निपटान का	

	मुद्दा उठाया , परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई ।	
6	**श्री कपूर सिंह पटियाल, स्थानीय निवासी, गावं (सिल्हा–किपड़) :–** श्री पटियाल जी, ने इशारा किया कि सरकार एवम् नगर परिषद के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि केवल नगर अपशिष्ठ ही आए मगर कोई भी जैविक चिकित्सा अपशिष्ठ न आए। ताकि निजी अस्पतालों एवम् क्लिनिकों के कूड़े–कचरे के मिश्रण पर रोक लगे। सैलानी एक डेढ़ किलोमीटर तक एकत्रीकरण स्थल से उत्पन्न होने वाली बदबू के सन्दर्भ में एतराज करते है। इसलिए यह परियोजना सही नहीं है ।	**श्री पुरुषोतम शर्मा, प्रबन्ध निदेशक मै0 एसीनसो एनवायरो प्राईवेट लिमिटेड (सलाहाकार) :–** जैविक चिकित्सा अपशिष्ठ, नगर ठोस अपशिष्ठ से न मिले यह सुनिश्चित् किया जाएगा। पृथकीकरण के पश्चात् प्लास्टिक सीमेंट फैक्टरी में सह–दहन के लिए दिया जाएगा । नगर ठोस अपशिष्ठ को स्थल तक लाने के लिए उचित तकनीक प्रयोग में लाई जाएगी। यह तकनीक पूरे देश में अपनाई जा रही है। अपशिष्ठ को यहां–वहां एवम् अधिकतर पहाड़ी ढलानों पर फैंकने की आजकल की प्रथा सही नहीं है । इस स्थिति से उभरने के लिए लोगों को सामाजिक शिष्टाचार एवम् नगर ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन में उनकी भूमिका के बारे में जागरुक करने की आवश्यकता है । उचित प्रबन्धन के लिए प्रचलित कानूनों को और भी सरल बनाया जा रहा है । ऐसे स्थलों से बदबू आना स्वाभाविक है,परन्तु यदि सही प्रबन्धन हो और उचित आवश्यक सावधानियां बरती जाएं तो बदबू को काफी हद तक कम किया जा सकता है ।
		डा0 रमेश कुमार नड्डा,पर्यावरण अभियन्ता,हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,बिलासपुरः– यदि प्रंसस्करण उचित न हो तभी बदबू उत्पन्न होती है । पहले, मल शोधन सयन्त्रों के पास भी बदबू महसूस की गई ,परन्तु जब इनको सुचारु एवम् दक्षता पुर्वक चलाया गया तो कोई बदबू नहीं पाई गई । इसी प्रकार नगर ठोस अपशिष्ठ संयन्त्र भी बदबू रहित हो सकते है। जहां तक जैविक –चिकित्सा अपशिष्ठ की बात है उसका सभी चिकित्सालयों ,निदान केन्द्रो एवम् परीक्षण स्थलों से एकत्रीकरण करके निपटान किया जाता है ।
		श्री सुरेश अत्री, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी विभाग, हि0प्र0 :– इन्होंनें कहा कि वे मण्डी ,कुल्लू और मनाली में भी नगर ठोस अपशिष्ठ के सर्वेक्षण के लिए गठित कमेटी के सदस्य रहे हैं। ,उस समय भी हमारे मन में यही शंकाएँ एवम् विचार थे जोकि आज लोगों ने उठाए है, क्योकि उस समय मण्डी में ठोस कूड़ा प्रबन्धन की व्यवस्था अति दयनीय थी । कई बार सरकारी स्तर पर मुद्दा उठा और नगर परिषद को कुप्रबन्धन के लिए कानूनी प्रक्रिया भी झेलनी पड़ी थी। यह अपशिष्ठ प्रबन्धन के लिए कड़े कानून और

		नगर परिषद मण्डी के प्रयत्नों का ही परिणाम है कि यह परियोजना आज इस स्तर पर पहुंच पाई है। इन सभी तथ्यों के समाधान के लिए पर्यावरण विभाग पूर्णरुपेण समर्पित है । और हम यह विश्वास दिलाते है कि पर्यावर्णीय स्वीकृति मिलने के उपरान्त भी आपकी सभी समस्याओं का सही ढगं से समाधान किया जाएगा । इसके उपरान्त उन्होनें बताया कि राज्य पर्यावर्णीय प्रभाव प्राकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावर्णीय स्वीकृति प्रदान करने के बाद भी वह छः महीने तक परियोजना का सर्वेक्षण करते रहेगें । यदि बाद में भी समस्या होती है तो उस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा ।

अध्यक्ष जन –सुनवाई एवम् अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मण्डी (हि0 प्र0) :– मैं जन–सुनवाई में उपस्थित सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी ने जो बहुमूल्य विचार दिए , इसलिए मैं पुनः सभी का धन्यवाद करता हूं। यह जन–सुनवाई आपके विचारों को जानने एवम् उनके उपर कार्य करने के लिए ही रखी गई है । यदि जनता के विचारों को अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है तो अब इस जन–सुनवाई के पश्चात् इन्हें सही रुप से सम्मिलित किया जाए । मैं इस विचार मे सहमत हूं कि वर्तमान कूड़ा–कचरा प्रबन्धन व्यवस्था ठीक नहीं है । पानी के निष्कासन , कूड़े के निष्पादन तथा जल एवम् वायू प्रदूषण की किसी भी समस्या का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए तथा तकनीकि सलाहाकार इनके उचित निपटान के लिए आवश्यक कार्यवाही करें ।

मैं, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवम् तकनीकि सलाहाकार से अपेक्षा करता हूं कि, आज लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवम् विचारों को परियोजना में समायोजित किया जाए । हम कोई भी गलत काम नहीं होने देगें । आज की सारी कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिगं की गई है तथा इसे सरकार के समक्ष रखा जाएगा । इस पर विचार–विमर्श के उपरान्त ही उचित निर्णय लिया जाएगा । मैं अनुरोध करता हूं कि सभी इस परियोजना को सहयोग दें ।

डा0 रमेश कुमार नड्डा,पर्यावरण अभियन्ता,हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,बिलासपुरः–

उपस्थित जन समुह को अवगत करवाया गया कि प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड, प्रदूषण की रोकथाम के लिए सक्षम व कृतसकंल्प है । इस परियोजना का सर्वेक्षण भी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवम् सम्बंधित विभाग समय–समय पर करते रहेगें ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो । इसके सहित माननीय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, उपस्थित अधिकारीगण एवम् जन–समूह का जन–सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए तथा अपने विचार ,टिप्पणीयां एवम् सुझाव रखने के लिए धन्यवाद किया ।

अध्यक्ष , जन –सुनवाई
एवम्
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
मण्डी (हि0प्र0)

Statement of Issues

Detail of issues raised during the Public Hearing organised by Himachal Pradesh State Pollution Control Board held on 31.07.2015 at 11:00 A.M., at Himachal Darshan Photo Art Gallery, Village – Bindrabani,Tehsil – Sadar, Distt. Mandi (H.P.) for the establishment of Municipal Solid Waste Management, Processing and Disposal facility at Village – Ayala, Tehsil – Sadar, Distt. Mandi (H.P.)

Statement of issues

Sr. No.	Issues	Reply
1.	**Sh. Shyam lal Thakur, Member, Zila Parishad – Mandi (H.P.):** Raised the issue that no proper solid waste management is there at present in Municipal Solid Waste (MSW) dumping site and there is a natural source of water/spring which flows through the MSW dumping site and finally enters into the river Beas. Presently there are two number of water supply schemes at a distance of 200 meters downstream of the MSW dumping site, from where the drinking water is supplied to the population of about, 10,000-11,000 . There may be leachate & smoke generation from the proposed project and may affect the health of the general public. So, the project may be shifted to other place, which is away from the water bodies/rivulet.	**Sh. Purushotam Sharma, Managing Director, M/s Ascenso Enviro Private Limited (Consultant):** Apprised about two number of problems i.e. water contamination & smoke in the air due to burning of the MSW, which were raised by Sh. Shyam Lal Thakur. But, it was clarified that, the proposed project is designed in such a manner that the spring water shall be diverted by constructing a diversion channel of adequate width from outside, without entering into the project area, so that, there shall be no contamination of water due to solid waste. Secondly, in this proposed project, there shall be no burning of MSW at any stage, therefore, no question of smoke generation arises. The leachate, which so ever will be generated from the processing facility, is to be treated so that it may not cause any adverse effect. The MSW shall be converted into vermi-compost through wind-rows system.
2.	**Sh. R.K. Saini, Asstt. Engineer, I&PH-Sub-division, Mandi (H.P.):** Raised the issue that at present there are two water supply schemes, one is upstream and other is downstream of the proposed dumping site. People raise objection about the mixing of toxic material i.e. leachate from present MSW dumping site. Although there is a proposal to lift the water from Uhl river for which DPR has been prepared, but it will take four to five years time. Hence, treatment for leachate is required.	**Dr. R.K Nadda, Env. Er., SPCB, Bilaspur:** Supported the sentiments of the Asstt. Er., I & PH – Mandi and further clarified that, leachate if any can be a pollutant, but not toxic. Even though, the leachate which so ever will be generated has to be treated in the treatment system and only then will be disposed and it will be ensured that it may not cause any effect on the quality of the river water. As this process is basically a composting process which

	years time. Hence, treatment for leachate is required.	basically a composting process which does not involve any burning, hence, no smoke generation. However, quality of the Beas river water is regularly monitored by the State Pollution Control Board (HPSPCB). It was also informed that to ensure proper implementation of the MSW Rules, 2000 a case was already filed in the court of law by the SPCB against Municipal Council – Mandi (MC Mandi).
3.	**Sh. Bhim Sen, Local resident Ayala:** The local people are engaged in the hotel & dhaba business, where neat & clean food stuff is required to be served, but improper management of Municipal Solid Waste by MC Mandi leads to mosquito & flies breeding. Due to rains, the water, flowing through the MSW site, gets polluted and joins the river water thus affects its quality. This rain water also carries MSW towards road and ultimately into river.	**Sh. Purushotam Sharma, Managing Director, M/s Ascenso Enviro Private Limited (Consultant):** This project is meant only for municipal solid waste and the Bio -Medical Waste will not be covered under this. As Bio-Medical Waste has separate system of disposal and treatment as per provisions laid down in Bio-Medical (Waste Management & Handling Rules). No toxic waste is to be carried to the site. This project is meant only to process the waste as categorised under Municipal (Management & Handling) Rules, 2000 and the waste from our houses is not toxic in nature. The waste will be only domestic, municipal solid waste wherein, there will be no industrial toxic waste. The waste received at the site shall be segregated into organic waste and inorganic waste. The organic waste shall be converted into compost and the inorganic waste will further be segregated into recyclables like plastic, glasses, iron etc. which will go to the market and remaining inert shall be landfilled which shall be very minute in quantity. In order to ensure toxic free waste, six monthly monitoring reports are to be submitted to the authorities as per procedure laid down underMSW Rules.
4.	**Sh. Laxmendar Singh Guleria, (Mandi Bachao Morcha):** We have raised the issue regarding proper sanitation and management of solid waste so many times with MC Mandi and administration but no steps have been taken as so far in this direction to resolve the issue. The municipal council is so adamant that, it could not put the issue before the House even for a single time. Further he stated that, during the rains volume of water at the dumping site is so large that it cannot be controlled by simple diversion channel. He also remarked that as per directions of Hon'ble High Court no body is allowed to throw waste into River Beas. Whereas MC Mandi buried dead animals so many times in their dumping site and also dead animals are thrown in to Beas River. Municipal Administration is adamant about the establishment of the processing of waste at Bindarbani (Present site). Flies and smell have made the life hell, which also affects tourism. Before, implementation of this project, the concerns of the local, should be	

	considered as dumping site falls in HFL. The I & PH Department has no technology to separate the toxic material from the river water. The proposed water supply Scheme from Uhal River may take four to five years, so dumping site should be located in such a place where there is no water body.	
5	**Sh. Bir Singh Thakur (President Kisan Union, Majhwar Panchayat):** Sh. Thakur supported the issues raised by the people present in the Public hearing and told that the suggestions always remain in the papers .He suggested MC Mandi to locate the plant only if it is acceptable by the local people and if not accepted then it must not be installed. The representatives of the Panchayat have taken the matter about the disposal of the waste, with Municipal Council many times, but no action was taken.	
6.	**Kapoor Singh Patyal: Local resident Vill. Silhakipar:** Sh. Patyal pointed out that to ensure delivery of only municipal waste and no Bio-Medical Waste; there is no mechanism with the Government as well as with the Muncipal Council Mandi so as to check the mixing of Bio-Medical Waste from Pvt. Hospitals and clinics with MSW. Tourists raise the concern about foul smell due to dumping site for about one and a half kilometre. Therefore, this project is incorrect.	**Sh. Purushotam Sharma, Managing Director, M/s Ascenso Enviro Private Limited (Consultant):** It shall be ensured that Bio-Medical waste may not be mixed with the Municipal Solid Waste. After segregation, the plastic may be handed over to cement plants for co-incineration. There will be proper mechanism to carry only the MSW to the site. This technique is applied all over the country. The present practice to throw the waste here and there and mostly on the hillslopes is not correct. To cope up with such situation people must be made aware about the civic sense and their role in the management of MSW .For effective management, the prevailing Rules are likely to be liberalised. The smell is imminent at such sites but if properly managed and due precautions are taken,smell can be minimised to a great extent. **Dr. R.K Nadda, Env. Er., SPCB, Bilaspur:** Foul smell generates only if process is not effectively carried out. In

5

		the past, foul smell was encountered near the sewage treatment plants also but now when these are effectively and properly managed, no foul smell is observed .Similarly, such MSW plants can be free from foul smell. As far as Bio-Medical Waste is concerned, the same is collected and treated at appropriate place from all the hospitals, clinics and diagnostic centres.
		Sh. Suresh Attri, Principal Scientific Officer, Department of Environment Science &Technology, H.P. Stated that I was part of the team constituted for the monitoring of SWM practices at Mandi, Kullu and Manali. At that time we had the same doubts and concerns as raised by the public today and the condition of solid waste management was very critical at that time in Mandi. Various times the issue was raised at Government level and Municipal Council Mandi was prosecuted for the mismanagement of waste. It is due to the strict legislation on waste management and efforts of Municipal Council Mandi that this project has come up. The Department of Environment is completely dedicated to look after these issues and after the grant of Environmental Clearance, we ensure that your problems will be resolved properly. Further he added that we are liable to monitor the project for six months after the grant of Environmental Clearance from State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). If any issue rises later then strict action can be taken.

Additional District Magistrate
Mandi, District Mandi (H.P.)